भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1332

उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आईसीसी

†1332. **श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के निर्धारित दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिदेशित है;

(ख) उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आईसीसी का गठन किया है, समिति के सदस्यों की संरचना क्या है तथा क्या ये समिति अधिदेशित दिशानिर्देशों का पालन करती हैं;

(ग) उपर्युक्त दिशा-निर्देशों और अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने अधिदेशित जरूरतों के हिसाब से आईसीसी के अनुपालन का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन या लेखा परीक्षा कराई है;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम, 2015 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया जाना अधिदेशित है।

(ख): शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अधिनियम और यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आईसीसी का गठन किया है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार, आईसीसी में पीठासीन अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ महिला संकाय सदस्य, दो संकाय सदस्य और दो गैर-शिक्षण कर्मचारी, तीन छात्र प्रतिनिधि और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) में से एक सदस्य अवश्य शामिल होने चाहिए। कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।

(ग) से (च): शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु शिकायत दर्ज करने और जेंडर ऑडिट के लिए सक्षम पोर्टल, जागरूकता और अनुपालन के लिए परामर्शिका, शिकायतें दर्ज करवाने के लिए एक टोल-फ्री शिकायत नंबर और एनईपी 2020 के अनुरूप उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जैसी पहल शुरू की हैं।

*****